उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या क0नि0-5-2490/11-2005-500(87)-2001

लखनऊ, दिनांक 30 मई, 2005

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 27, 47क और 75 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
	विद्यमान उपखण्ड		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
(दो) वाणिज्यिक भवन	भूमि का न्यूनतम मूल्य चाहे निर्माण से आच्छादित हो या नही जो खण्ड (क) के अधीन लिखत की विषय वस्तु के अनुसार निकाला जायेगा और नियम (4) के अधीन जिले के कलेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम किराए के साथ भवन के प्रत्येक मंजिल के निर्मित क्षेत्र को गुणा करके भवन के तय पाये गये न्यूनतम मासिक किराए का तीन सौ गुना होगा, का जोड़।	(दो) वाणिज्यिक भवन	नियम 4 के अधीन जिले के कलेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम किराए के साथ भवन के प्रत्येक मंजिल के निर्मित क्षेत्र का गुणा करके भवन के संगणित न्यूनतम मासिक किराए का तीन सौ गुना होगा, जो लिखत की विषय वस्तु के अनुसार निकाला जाएगा।

आज्ञा से
(अतुल चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या-क0नि0-5-2490(2)/ग्यारह-2005-500(87)/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
3. आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ को इस आशय से प्रषित कि कृपया इस अधिसूचना की प्रति प्रदेश के समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। साथ ही कृपया समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि इस अधिसूचना की प्रति समस्त उप निबन्धकों को भी उपलब्ध कराये।
4. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
6. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश शासन।
8. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9. सूचना निदेशक, सूचना निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से
(अरूण सिंह)
विशेष सचिव ।